यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, हरिद्वार के माह 07/2018 से 01/2021 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के० एस० चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक: 08.02.2021 से 15.02.2021 तक श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

## <u>भाग-I</u>

**परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक: 31.07.2018 से 04.08.2018 तक श्री नीरज चुरुंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमे 12/2015 से 06/2018 तक के अभिलेखों की जाँच की गयी थी।

1. वर्तमान लेखा परीक्षा मे माह 07/2018 से 01/2021 तक के अभिलेखों की जाँच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः हरिद्वार

**(अ)** विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः **(धनराशि लाख में)**

| **वर्ष** | **प्रारम्भिक अवशेष** | | **स्थापना** | | **गैर स्थापना** | | **अवशेष** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **स्थापना** | | **गैर स्थापना** | |
| | **स्था.** | **गैर स्था.** | **आवंटन** | **व्यय** | **आवंटन** | **व्यय** | **आधि.** | **बचत** | **आधि.** | **बचत** |
| 2017-18 | - | - | 45.90 | 45.90 | 1020.30 | 1020.30 | - | - | - | - |
| 2018-19 | - | - | 38.48 | 38.48 | 1051.12 | 1051.12 | - | - | - | - |
| 2019-20 | - | - | 41.85 | 41.85 | 1121.05 | 1121.05 | - | - | - | - |
| 2020-21 (01/2021) | - | - | - | - | 1562.66 | 1562.66 | - | - | - | - |

**(ब)** Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

**(स)** केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

**विभाग का संगठनात्मक ढांचाः**

| |
|---|
| जिला कमांडेंट |
| वैतनिक निरीक्षक |
| वैतनिक प्लाटून कमांडर |
| बी० ओ० |
| मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) |
| प्रशासनिक अधिकारी |

**(ii)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड्स हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 12/2019, एवं 12/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

**(iii)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-II 'अ'

**शून्य**

## भाग-III

**(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या | भाग दो"अ" प्रस्तर संख्या | भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|---|
| 19/2015-16 | शून्य | 01 | शून्य |

## भाग-IV

**(शून्य)**

# भाग-V

**1.** कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

**2.** लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

**3.** सतत् अनियमितताएनमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

**4.** लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

| **क्रम सं0** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| **(i)** | श्री गौतम कुमार | सेनानायक | 06/2018 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताये जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला सेनानायक होमगार्ड, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप महालेखाकार/ए०एम०जी०-III, कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III**

# भाग दो (ब)

**प्रस्तर 01: SGHS योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान के रूप मे रु० 45,600.00 की धनराशि की कटौती न किया जाना।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-688/ XXVIII-4-2018-04/ 2008/ TC दिनांक 14.09.2018 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एवं शासन के पत्र दिनांकः 04.05.2020 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/ कर्मचारी एवं सेवानिवृत्तों को निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना था, जिसके एवज मे अधिकारी/ कर्मचारी एवं सेवानिवृत्तों के वेतन एवं पेंशन से योगदान की धनराशि निम्न दर से अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी थी:

| क्रम संख्या | वेतन लेबल संख्या | प्रतिमाह कटौती की धनराशि (₹ में) |
|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 100/250 |
| 2 | 06 | 200/450 |
| 3 | 07-11 | 300/650 |
| 4 | 12 एवं ऊपर | 400/1000 |

उक्त आदेश के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा राजकीय कर्मचारियों का डाटा तैयार किया जाना था।, एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना था कि ऊपरोकतानुसार अंशदान की धनराशि की कटौती ट्रेजरी के माध्यम से नियमानुसार की गयी है एवं कटौती उपरांत धनराशि सुसंगत शीर्ष में जमा हो गयी है। कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड हरिद्वार के अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि कार्यालय मे कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से उक्त आदेश के अनुपालन में अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2020 तक चिकित्सा योगदान की धनराशि की कटौती नहीं की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार:-

| क्रम संख्या | वेतन लेबल संख्या | कर्मचारियो की संख्या | प्रति कर्मचारी प्रति माह कटौती की धनराशि | कुल माह | कुल धनराशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 07 | 100<br>250 | 19<br>8 | 13300<br>14000 |
| 2 | 06 | 01 | 200<br>450 | 19<br>8 | 3800<br>3600 |
| 3 | 07 | 01 | 300<br>650 | 19<br>8 | 5700<br>5200 |
| **योग** | | | | | **45,600.00** |

उपर्युक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि कार्यालय के समस्त कर्मचारियों का विवरण वेतन देयक के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित किया जाता है। उक्त कटौती कोषागार द्वारा की जाती है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कटौती का आदेश

सितम्बर 2018 मे कर दिया था। अतः उक्त आदेश के जारी होने की तिथि से कार्मिकों के वेतन से निर्धारित दर से कटौती की जानी चाहिये थी।
अत: ₹45,600/- अंश दान की कटौती न किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर 03:- ₹12136/- की निष्प्रोज्य सामग्री की नीलामी न किया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के अध्याय 6 नियम 75 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष/ सक्षम अधिकारी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा स्टाक पंजिका मे उल्लिखित सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापन के उपरांत पायी गयी निष्प्रोज्य सामग्री की नीलामी करके समय से निस्तारण किया जाना चाहिये।

कार्यालय जिला सेनानायक होमगार्ड हरिद्वार मे स्टॉक पंजिका एवं उससे संबन्धित अन्य पत्रावली के अवलोकन मे पाया गया कि सत्यापन के दौरान 68 आइटमों को, जो 05 से 31 वर्ष पुराने थे, निष्प्रोज्य घोषित किये जाने हेतु सूचीबद्ध किये गये थे। उक्त 68 आइटमों का क्रय मूल्य रु० 60676.00 था, जिनके निष्प्रोज्य होने पर नीलामी हेतु क्रय मूल्य का 20 प्रतिशत मूल्य रु० 12136.00 निर्धारित किया गया था। परंतु अतिथि तक उक्त सामग्री की नीलामी नहीं की गयी थी।

उपर्युक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि सामग्री जुलाई 2020 मे निष्प्रोज्य सूची तैयार की गयी थी निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

अत: निष्प्रोज्य सामग्री का निस्तारण न किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

# STAN

**प्रस्तर 01:- भारत संचार निगम लिमिटेड के विरुद्ध होमगार्ड्स ड्यूटी भत्ता रु० 168167.00 की धनराशि प्राप्त न किया जाना।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1173/ XX(5)/19-11(रिट)/ 2018 दिनाँक 24.12.2019 के अनुसार होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता रु० 600.00 प्रति दिन निर्धारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुसार जिन होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की तैनाती सार्वजनिक संस्थानों, निगमों, उपक्रमों पर की जाएगी, उन संस्थानों से, उनमें तैनात किये गए होमगार्ड्स की तैनाती की अवधि हेतु रु० 615.00 प्रतिदिन की दर से प्राप्त की जाएगी।

कार्यालय जिला सेनानायक होमगार्ड हरिद्वार के अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि इकाई द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड जनपद हरिद्वार मे उनकी मांग के अनुसार अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक होमगार्ड्स की तैनाती की गयी थी परंतु भारत संचार निगम लिमिटेड जनपद हरिद्वार से, उक्त संस्थान में तैनात किए गए होमेगार्ड्स के रु 168167/- ड्यूटी भत्ते की प्राप्ति नहीं की गयी थी जिसके कारण उक्त होमगार्डस/स्वयंसेवकों को आतिथि तक ड्यूटी भत्ते का भुगतान नही किया गया था। उपर्युक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि संबन्धित विभाग से इस कार्यालय को लम्बित धनराशि उपलब्ध होने के बाद संबन्धित होमगार्डस/स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संबंधित होमगार्डस/स्वयंसेवकों को आतिथि तक ड्यूटी भत्ते का भुगतान नही किया गया था।

अत: ड्यूटी भत्ते के लम्बित धनराशि के प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

# STAN

**प्रस्तर 02:- विभागीय चालू खाते मे रु० 92416.00 की धनराशि लम्बित अवधि से अवरुद्ध पड़ी रहना।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-99/ XXVii (14)/ 2009 दिनांक 03.09.2009 के अनुसार सरकारी विभागों मे कार्यों हेतु धनराशि रखने के लिये बैंक मे खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जाय एवं खाते मे अवशेष धनराशि पी०एल०ए०, तथा उस पर अर्जित ब्याज लेखा-शीर्ष मे जमा कर दिया जाय।

रोकड़ बही की संवीक्षा  मे पाया गया कि जिला कमांडेंट होमगार्ड्स हरिद्वार के पदनाम से विभागीय चालू खाता संख्या 11231235020 खोला गया था जिसमे रु० 92416.00 की धनराशि लम्बी अवधि से अवरुद्ध पड़ी थी एवं रोकड़ बही मे लगातार दर्शायी जा रही थी।

उपर्युक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि उक्त खाते मे जमा धनराशि के संबंध मे कार्यालय मे कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। मुख्यालय को कार्यवाही के संबंध मे पत्राचार किया गया है। मुख्यालय से कार्यवाही के संबंध मे सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बैंक खाते मे पड़ी धनराशि के संबंध में कार्यालय को यह जानकारी तक नही थी कि उक्त धनराशि किससे संबंधित है। इस प्रकार कार्यालय द्वारा उक्त धनराशि के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी।

अत; बैंक खाते मे अवरुद्ध धनराशि ₹92416/- का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।